न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं0 एम0 142/2021

प्रथम पक्ष– लगन लोहरा ।

बनाम

धारा 107 द0 प्र0 सं0

द्वितीय पक्ष–तौहीद खान .... वगैरह ।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 05/2022 दिनांक 22/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) लगन लोहरा उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 बंधना लोहरा ग्राम पतुरा थाना– बसिया जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) तौहीद खान उम्र 35 वर्ष (2) अफताब खान उम्र 32 वर्ष दोनों पिता स्व0 शमशेर खान (3) रूकमान खान उम्र 18 वर्ष पिता ईजराईज खान तीनों ग्राम पतुरा थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार द0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत्त किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.09.09 11:48:48 +05:30
Location: 192.168.235.239